(c) the steps being taken by the Government to break this stranglehold?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (KUMARI ABHA MAITI): (a) Two Companies viz, Messrs. Indian Explosives Limited and M/s. IDL Chemicals Limited, are at present producing industrial explosives in the country.

(b) M/s. Indian Explosives Limited have 51.2 per cent foreign equity and their installed capacity is 36,000 tonnes per annum. Their actual production during the years 1974, 1975 and 1976 was 32,442 tonnes, 35,336 tonnes and 37,074 tonnes respectively. Messrs. IDL Chemicals Limited have 40 per cent foreign equity and their installed capacity is 22,500 tonnes. Their actual production during 1974, 1975 and 1976 was 5,864 tonnes, 9,993 tonnes and 10,544 tonnes per annum respectively.

(c) In order to meet the growing demand for industrial explosives and give a greater share to Indian companies, six new schemes have been approved for setting up a total additional capacity of 67,500 tonnes of explosives of different types. These schemes are now at different stages of implementation.

हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

3876. **श्री राम लाल राही** : क्या ऊर्जा मन्त्री हरिजन बस्तियों में बिजली लगाये जाने के बारे में 16 नवम्बर, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 49 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बस्तियों में बिजली लगाने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में किये गये साढ़े चार करोड़ रुपयों के उपबन्ध में लक्ष्य प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो पांचवीं योजना में इस योजना को चालू न रखने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या एक गांव की किसी बस्ती में बिजली लगाने के लिए रखी गयी राशि बहुत कम थी और इसके परिणामस्वरूप अनेक बड़े गांवों का समूचा हरिजन समुदाय इस योजना से वंचित रहा ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस योजना के अन्तर्गत प्रति गांव आवंटन राशि में वृद्धि करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में विशिष्ट स्कीम के अन्तर्गत ग्राम विद्युतीकरण निगम को उपलब्ध कराई गई 4.5 करोड़ रुपये की राशि से 13 राज्यों में 10,406 हरिजन बस्तियां विद्युतीकृत की गई थीं। इस विशिष्ट स्कीम में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

(ख) पहले से ही विद्युतीकरण गावों की निकटवर्ती हरिजन बस्तियों को बिजली देने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम के माध्यम से ऋण सहायता की विशिष्ट स्कीम को पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में चालू नहीं रखा गया। तथापि, राज्य बिजली बोर्डों को सलाह दी गई थी कि पहले से ही विद्युतीकृत गावों में हरिजन बस्तियों को बिजली, राज्य की वार्षिक योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों से दी जानी चाहिए।

(ग) और (घ). इस प्रयोजन के लिए निधि के आवंटन की प्रति गांव राशि नियत नहीं है। विभिन्न बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए किए जाने वाले निर्माण कार्य की लागत के आधार पर, ग्राम विद्युतीकरण निगम के आवंटन की निधि भिन्न-भिन्न होती है।